

श्री शारदानन्द : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई ढांचा इस प्रकार का बनाया है कि उसको लेने के बाद किम प्रकार से उसको चलायेंगे ? क्या उसका कोआपरेटिव आधार रहेगा ? हमने मांग की है कि मजदूरों को उसका प्रबन्ध सौंपा जाये, उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस सम्बन्ध में हमने कोई राय नहीं दी । लोगल काम्प्यूटिस का जो सवाल उठाया था, उसके बारे में हमने जो एटार्नी जनरल की राय ली वह उनको भेज रहे हैं ।

12-40 hrs.

RE: SITUATION IN DELHI UNIVERSITY

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक सवाल उठा रहा हूँ । दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन लड़के—श्री विकास देशपाण्डे, विजय स्नेही और नरेन्द्र शर्मा—सात दिनों से भूख हड़ताल पर हैं । इनके मुद्दे ये हैं—एक—विश्वविद्यालय में 21 लड़कों को सस्पेंड किया गया है, दूसरा—श्री राज-कुमार जैन ने, जो कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, अपने इतिहास के पर्चे का उत्तर हिन्दुस्तानी में लिखा है, इसलिये उनका नतीजा नहीं निकाला गया है, तीसरे—ला-फैकल्टी में में 200 स्थानों को घटाया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों को भरती होने के लिये स्थान नहीं मिल रहा है, इस तरह से उनके चार-पांच मुद्दे हैं । इन सब मुद्दों को लेकर विद्यार्थी वहाँ आन्दोलन कर रहे हैं, सात दिन से भूख हड़ताल चल रही है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भक्त दर्शन जी और होम मिनिस्टर साहब को आदेश दें कि वे इसके बारे में शाम तक, हाउस उठने के पहले, बयान दें । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं चाहता हूँ कि सरकार उनकी मांगों को मान ले ताकि ये

लड़के अपनी भूख हड़ताल वापस ले सकें ।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : Sir, it is an important point. I support the hon. Member. I request that the Minister must make a statement on it.

श्री कंचर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ । वहाँ पर ला-फैकल्टी बन्द हो गई है ।

श्री रवि राय : 200 स्थान घट गये हैं, विद्यार्थियों को भरती होने के लिये स्थान नहीं मिल रहा है ।

MR. SPEAKER : I am not going to allow any more thing. He has already spoken on it.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय है । हिन्दी माध्यम से परीक्षा में उत्तर देने से अगर किसी को फेल किया जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय इस दायित्व को ले ।

12-41 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

LAW COMMISSION'S REPORT ON INDIAN POST OFFICE ACT

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. HANUMAN-THAIYA) : I beg to lay on the Table a copy of the Thirty-eighth Report of the Law Commission on the Indian Post Office Act, 1898. [Placed in Library. See No. LT—3826/70].

NOTIFICATIONS UNDER FORWARD CONTRACTS (REGULATION) ACT

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI DINESH SINGH) : I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S. O. 1526 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 25th April, 1970, issued under Section 6 of the Forward